

228

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(5ग्रावि/एनआरजीएस/दिशा-निर्देश/08-09

जयपुर, दिनांक

7 1 MAR 2008

समस्त जिला कलेक्टर एवं कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
राजस्थान।

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों से कार्यों का क्रियान्वयन करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश 2008 के पैरा 6.3 का अवलोकन करें, जिसके अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी के संबंध में गैर सरकारी संगठनों हेतु उल्लेख है।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय
(राजेन्द्र भाणावत)
निदेशक, ईजीएस

31/3

प्रतिलिपि समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक, ईजीएस

31/3